

संविदा के आधार पर सेवा योजन हेतु विज्ञापित

उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या:-1/868657/2025/71-1005(001)/20/2021पार्ट-1 लखनऊ:दिनांक 03/02/2025 एवं महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ के पृष्ठांकन:-एम0ई0-1/2025/426 लखनऊ:दिनांक 11 फरवरी, 2025 के क्रम में नर्सिंग कालेज के विभिन्न शैक्षणिक श्रेणीयों(प्रिंसिपल कम प्रोफेसर, वाईस प्रिंसिपल कम प्रोफेसर, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर एवं ट्यूटर) के रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरे जाने हेतु साक्षात्कार आवेदन पत्र एतद्वारा आमन्त्रित किये जाते हैं। इन पदों पर चयन "वाक-इन-इन्टरव्यू"(Walk-in-interview) पद्धति से नियुक्ति हेतु चयन समिति के माध्यम से किया जायेगा। इच्छुक अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह साक्षात्कार "वाक-इन-इन्टरव्यू"(Walk-in-interview) हेतु माह के प्रत्येक बुधवार(राजपत्रित अवकाश को छोड़कर) को प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे के मध्य अपने समस्त मूल प्रमाण पत्रों के साथ कार्यालय प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, मेरठ में उपस्थित हो। रिक्त पदों की संख्या नीचे तालिका में दी जा रही है। अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि वह साक्षात्कार के दिवस को अपने समस्त शैक्षिक/अनुभव प्रमाण पत्रों/शोध पत्रों की (स्व:प्रमाणित) छायाप्रतियों का एक सेट बायोडाटा सहित लायेंगे।

प्रधानाचार्य, कालेज ऑफ नर्सिंग, मेडिकल कालेज, मेरठ के द्वारा उपलब्ध कराये गये रिक्त पदों की सूचना के उपरान्त रिक्त पदों का विवरण निम्नवत है:-

क्र.सं.	विशिष्टता	श्रेणी			
		UR	OBC	SC	EWS
1	एसोसिएट प्रोफेसर	01	—	02	—
2	असिस्टेंट प्रोफेसर	—	—	01	—
3	ट्यूटर	02	—	02	—
	कुल	03	—	05	—

उक्त पदों पर नियमानुसार आरक्षण लागू होगा।

संविदा पर नियुक्ति की शर्तें निम्नवत हैं:-

- शासनादेश संख्या:-57/2022/1/156557/2022/71-1005(001)/20/2021 लखनऊ:दिनांक 15 अप्रैल, 2022 में प्राविधानित के अन्तर्गत संविदा पर नियुक्ति किये जाने वाले प्रिंसिपल कम प्रोफेसर, वाईस प्रिंसिपल कम प्रोफेसर, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर एवं ट्यूटर का मानदेय(प्रिंसिपल कम प्रोफेसर-1,40,000/-, वाईस प्रिंसिपल कम प्रोफेसर-1,20,000/-, प्रोफेसर-1,00,000/-, एसोसिएट प्रोफेसर-80,000/-, असिस्टेंट प्रोफेसर-70,000/- एवं ट्यूटर-45,000/-) एवं निर्धारित शैक्षिक अर्हतायें एवं अनुभव पूर्ण करना आवश्यक हैं।
- इस हेतु आवेदक को आई0एन0सी0 के द्वारा निर्धारित शैक्षिक अर्हतायें एवं अनुभव पूर्ण करना आवश्यक हैं।
- उक्त नियत वेतन के अतिरिक्त संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों को अन्य किसी प्रकार के वेतन/भत्ते एवं सेवागत लाभ अनुमन्य नहीं होंगे।
- संविदा पर नियुक्त शिक्षकों की सेवाएँ लोक सेवा आयोग से सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित शिक्षकों के उपलब्ध होने पर तत्काल समाप्त हो जायेगी एवं सेवा सन्तोषजनक न पाये जाने पर एक माह की नोटिस देकर भी सेवाएँ समाप्त की जा सकती हैं।
- ऐसे शिक्षकों का संविदा कार्यकाल एक वर्ष का होगा। एक वर्ष उपरान्त सेवा स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
- संविदा पर नियुक्त शिक्षकों के लिए यह आवश्यक होगा कि वह नियुक्ति होने के 07 दिन के अन्दर अपना कार्यभार ग्रहण कर लें। उक्त कालावधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में संविदा स्वतः रद्द मानी जायेगी। संविदा पर नियुक्त ऐसे शिक्षकों के कार्यभार ग्रहण की सूचना अधोहस्ताक्षरी को भेजी जाएगी।
- संविदा पर नियुक्त शिक्षक संविदा कालावधि के लिए किसी प्रकार के पेंशन संबंधी सुविधाओं का हकदार नहीं होगा। उसे ऐसे कालावधि के लिए कोई बोनस देय नहीं होगा।
- शिक्षकों शासकीय सेवा में विनियमितीकरण के लिए हकदार नहीं होगा।
- संविदा आधारित नियुक्ति किसी भी एक पक्ष द्वारा और किसी भी समय एक माह पूर्व की सूचना पर या एक माह का संविदा वेतन भुगतान करके समाप्त की जा सकती हैं।
- अभ्यर्थी की इस शैक्षिक वर्ष में आई0एन0सी0 के किसी भी निरीक्षण में इस कालेज के अतिरिक्त गणना न की गयी हो।
- इस संस्था के नर्सिंग कालेज में पूर्व से कार्यरत शिक्षकों को साक्षात्कार में वरीयता प्रदान की जायेगी।


प्रधानाचार्य,

ला0ला0रा0स्मा0मेडिकल कालेज,
मेरठ।

तददिनांक

संख्या:-ई0सी0-1/2026/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा, अनुभाग-1, उ0प्र0शासन, लखनऊ।
- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त विज्ञापित को महानिदेशालय की वेबसाईट पर अपलोड करादेवे।
- प्रभारी अधिकारी, वेबसाईट, मेडिकल कालेज, मेरठ इस आशय से प्रेषित की उपरोक्त विज्ञापित को मेडिकल कालेज, मेरठ की वेबसाईट पर अविलम्ब अपलोड करादेवे।
- सूचना पट।


प्रधानाचार्य,

ला0ला0रा0स्मा0मेडिकल कालेज,
मेरठ।